समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(जिला योजना कार्यालय)

अल्प कालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मान्नीय स0वि0प0, श्री संजीव श्याम सिंह से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जिला के विभिन्न उच्च विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए बेंच–डेस्क क्रय का आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। वित्तीय नियमावली के अनुरूप निविदादाताओं की न्यूनतम संख्या नहीं होने के कारण निविदा को स्थगित कर दी गयी। पुनः निबंधित प्रतिष्ठानों/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा दिनांक 28.11.2016 के अपराह्न 1:00 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा को दिनांक 28.11.2016 के अपराह्न 2:30 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। पूर्व में प्रकाशित निविदा आमंत्रण में जो निविदादाता निविदा दिये हैं उन्हें पुनः निविदा देने की आवश्यकता नहीं है।

निविदा की शर्ते निम्नवत है :–

1). तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जिसपर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित हो, एक तीसरे बडे लिफाफे में रखते हुए मुहरबंद कर भेजना अनिवार्य होगा।

2). निविदादाता को अग्रधन राशि के रूप में तकनीकी संबंधी लिफाफा में दस हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पदनाम से संलग्न करना होगा।

3). तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

4). तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित DIC के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र, **बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण–पत्र,** वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं स्थाई लेखा संख्या पैन नं0 तथा विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन फाईल करने की प्रति संलग्न करना होगा।

5) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र देना होगा।

6). समरूप पूर्व कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जायगी।

7). वित्तीय निविदा में सभी करो सहित दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

8). निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति के बाद सभी करों की कटौति के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

9) आपूर्ति की जाने वाली डेस्क–बेंच, की साईज एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 4673 दिनांक 09.10.2014 में अंकित) निविदा प्रकाशन की तिथि से जिला योजना कार्यालय, कैमूर (भभुआ) से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

10). निविदा निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में हाथों हाथ निर्धारित समय तक प्राप्त कराया जा सकता है।

11). कार्यादेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर डेस्क–बेंच की आपूर्ति संबंधित उच्च विधालयों/महाविद्यालयों को निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने मार्ग व्यय पर करना होगा तथा आपूर्ति सामग्रियों पर **"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं माननीय विधान पार्षद का नाम"** निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए।

12). इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हे निविदा की सभी शर्त्ते मान्य है।

13). निविदा खुलने के समय नमुना दिखाना अनिवार्य होगा।

14) किसी भी निविदा को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार, जिला क्रय समिति के अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

जिला योजना पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

E:\Dist's fill\Planning\MMKVY\Tender\Tender 10.09.2016\DESK-BENCH 10.09.2016.docx